प्रेषक,

पत्रांक 2455 / I–व.ग्रा.वि. / 2001

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष नगर पालिका / अध्यक्ष नगर पंचायत,
उत्तरांचल।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 30 अप्रैल, 2001

विषय : उत्तरांचल में पॉलीथीन थैलियों एवं पॉलीथीन की अन्य वस्तुओं के प्रयोग व उसके निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पॉलीथीन की थैलियों के कैरी–बैग्स का प्रचलन न केवल नगरों में वरन सुदूरवर्ती ग्रामों में भी फैल गया है। इन थैलियों का प्रयोग बाजार में विभिन्न औद्योगिक व व्यापारिक संस्थानों / इकाइयों द्वारा लाखों की संख्या में प्रतिदिन किया जा रहा है। इस प्रकार 2–3 दशकों से पॉलीथीन की थैलियों का प्रचलन शनै–शनै इस प्रकार बढ़ता गया कि आज यह स्थिति हो गयी है कि सुदूर ग्रामों में भी पॉलीथीन का कचरा यत्र–तत्र देखा जा सकता है विशेष कर हमारे शहरी क्षेत्रों की सड़कें, नाले आदि तो पॉलीथीन के कचरे से भरती जा रही हैं। ज्ञातव्य है कि पॉलीथीन एक अजैविक(नान- बायो डिग्रेडेबल) पदार्थ है जिसका क्षरण कई दशकों तक भी नहीं हो पाता है फलस्वरूप इस पॉलीथीन के कचरे से जहां एक ओर नाले सीवर लाइन के बहाव अवरुद्ध होते हैं वहीं पशुओं द्वारा इन्हें खा लिये जाने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अतः आज यह प्रबल आवश्यकता है कि उत्तरांचल राज्य को प्रारम्भ से ही पॉलीथीन के दुष्प्रभावों से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही के रूप में इसके प्रयोग को शनै–शनैः कम करने एवं इसके सुरक्षित निस्तारण के बारे में समस्त विभागों तथा जन साधारण में जागरूकता बढ़ाई जाये। उल्लेखनीय है कि कई प्रान्तों में पॉलीथीन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कानूनी मदद भी विभिन्न प्रान्तों द्वारा ली जा रही है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है जब तक पॉलीथीन प्रदूषण को प्रयोग करने पर विधिक रूप से रोक न लगाई जाती है तब तक पॉलीथीन के प्रयोग को कम करने एवं प्रयोग में आ रही थैलियों के सुरक्षित निस्तारण के उद्देश्य से जनपद में विभिन्न स्थानों, विशेषकर शहरों में, स्कूली बच्चों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक त्रैमास में एक रैली निकाली जाये तथा सामूहिक रूप से जन साधारण को सम्मिलित करते हुए पॉलीथीन के प्रयोग को हतोत्साहित करने व इसके कचरे का सुरक्षित रूप से निस्तारण करने पर बल दिया जाय। इसके अतिरिक्त विभिन्न टाउन एरिया / म्यूनिसिपलिटीज को भी इस विषय में निरन्तर डुगडुगी व अन्य प्रकार से वृहद प्रचार कर जन–जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया जाय। समस्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को जनपद में अपने–अपने क्षेत्र के अन्तर्गत, विशेषकर यात्रा स्थलों में इस कार्य के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सौंप जाय।

कृपया कृत कार्यवाही की त्रैमासिक सूचना शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

शत्रुघ्न सिंह
सचिव

संख्या / I–व.ग्रा.वि. / 2001 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल कैम्प कार्यालय, देहरादून।
6. क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

आज्ञा से

शत्रुघ्न सिंह
सचिव